सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 28 माघ, 1947 (श०) / 17 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 179

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	87
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	07
(3)	कला एवं संस्कृति विभाग	..	..	08
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	10
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	11
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	06
(7)	परिवहन विभाग	..	..	05
(8)	खेल विभाग	..	..	21
(9)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	01
(10)	उच्च शिक्षा विभाग	..	..	16
(11)	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	..	..	01
(12)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	05
(13)	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	..	01
			कुल योग --	179

आवासन की संख्या बढ़ाना

'क'-* 342. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत पर्यवेक्षण गृह, बाल संरक्षण इकाई संचालित किया जा रहा है, जिसमें किशोरों के आवासन की क्षमता 50 बेड है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पर्यवेक्षण गृह में किशोर न्याय परिषद्, रोहतास, कैमूर एवं अन्य न्यायालयों से आदेशित विधि विवादित किशोर भी आवासित किये जाते हैं जिससे उक्त गृह की क्षमता काफी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पर्यवेक्षण गृह में आवासन की संख्या 80 से 100 बेड तक बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन शौचालय एवं पेयजल सुविधा

*1135. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी विधान सभा क्षेत्र के नौहट्टा प्रखंड स्थित सत्तौर पंचायत के नरगा ग्राम में संचालित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय (NPS) का भवन जर्जर है तथा शौचालय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जबकि उक्त भवन में ही मध्य विद्यालय, बिरजाईन का संचालन भी किया जा रहा है जहां दोनों विद्यालय को मिलाकर लगभग 445 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं, यदि हाँ, तो सरकार नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत नरगा ग्राम में नये विद्यालय भवन, शौचालय एवं पेयजल सुविधा के साथ निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित कराना

*1136. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के ग्राम-पं० दीनापट्टी स्थित मध्य विद्यालय, दीनापट्टी को पर्याप्त भूमि, भवन तथा योग्य शिक्षकों की उपलब्धता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कक्षा 08 के उपरान्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूरस्थ विद्यालयों में जाना पड़ता है, जिसके कारण छात्र-छात्राएं दूरी, साधनों की कमी एवं सुरक्षा कारणों से आगे की शिक्षा छोड़ने को विवश हो जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि की वसूली

*1137. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की योजना में वर्ष 2025 में वित्तीय नियमावली के नियम-131(घ) का उल्लंघन कर नालन्दा जिला में बेंच-डेस्क का क्रय एवं किसी खास एजेंसी को लाभ पहुँचाने से संबंधित मामले में जाँचोपरांत उप-विकास आयुक्त, नालन्दा द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में जिलाधिकारी, नालन्दा द्वारा तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, नालन्दा के विरुद्ध प्रपत्र-'क' गठित करने का आदेश दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रपत्र 'क' गठित करते हुये दोषियों को चिन्हित कर उनसे वित्तीय अनियमितता की वसूली कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा श्री राज कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है ।

नोट-- 'क'- सदन में गृह विभाग द्वारा से समाज कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

उक्त के आधार पर विभाग स्तर से आरोप-पत्र गठित करते हुये श्री राज कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी । श्री राज कुमार द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन पर जिला पदाधिकारी, नालन्दा से मंतव्य की मांग कर आरोप/लांछन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 237/सा०, दिनांक 9 फरवरी, 2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदधिकारी, योजना एवं लेखा, नालंदा श्रीमती कविता कुमारी के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई के क्रम में उप-विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला निगरानी समिति/धावादल, नालंदा के द्वारा पत्रांक-763/गो०, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है ।

मानदेय भुगतान कराना

*1138. श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के अधिसूचना सं०-53/2025, दिनांक 28 अप्रील, 2025 के माध्यम से विभिन्न विषयों में 70 अतिथि व्याख्याताओं की नवनियुक्ति की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के अधिसूचना सं०-ACC/Claim/2012/2025, दिनांक 22 अगस्त, 2025 एवं ACC/Claim/2329/2026, दिनांक 2 जनवरी, 2026 के माध्यम से नवनियुक्त अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय की राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, फिर भी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवनियुक्त अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण अतिथि व्याख्याताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नवनियुक्त अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोशाक राशि देना

*1139. श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या-69 कोढ़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखंड में लगभग 300 आँगनबाड़ी केन्द्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा पोशाक राशि बंद कर दिये जाने से उक्त सभी आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को पोशाक राशि लगभग चार वर्षों से नहीं दी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दी जाने वाली पोशाक राशि कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*1140. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खेलो इंडिया योजना के तहत युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को आगे ले जाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के प्रखंड-काराकाट, पंचायत-देव में एक भी खेल मैदान अवस्थित नहीं है एवं जल-जीवन-हरियाली के तहत आहर के खुदाई के उपरांत पर्याप्त भूमि देव ग्राम में उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भूमि पर खेल मैदान का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय में उत्क्रमण

*1141. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत फुल्लीडुमर प्रखंड के उत्तरी कोझी ग्राम पंचायत स्थित ढ़ोढ़री गांव भौगोलिक रूप से पहाड़ी इलाके में आता है तथा आस-पास में कोई गांव नहीं है जिसके कारण यहां के बच्चे एकमात्र प्राथमिक विद्यालय, ढ़ोढ़री में कक्षा 1 से 5 तक की ही पढ़ाई कर पाते हैं, फलस्वरूप इनकी आगे की शिक्षा बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित करते हुये मध्य विद्यालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुरातत्व स्थल विकसित करना

*1142. श्री जयन्त राज (क्षेत्र संख्या-159 अमरपुर)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत अमरपुर प्रखंड में अवस्थित भदरिया ग्राम में दिसम्बर, 2020 में पुरातत्व स्थल होने की जानकारी प्राप्त हुई है और इसका निरीक्षण भी कर लिया गया है लेकिन आजतक उक्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुरातत्व स्थल पर कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

*1143. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के बरैपुरा स्थित काली स्थान एवं बसहा स्थान के पुरातात्विक टीले पर पाल वंश साम्राज्य से जुड़े काले पत्थर की अतिप्राचीन एवं बहुमूल्य प्रतिमाएं तथा सूर्य मंदिर मौजूद हैं, जहां सुरक्षा के अभाव में इनके चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की प्रबल आशंका बनी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल की पुरातात्विक महत्ता को देखते हुये जिला पदाधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्रांक 617, दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 द्वारा निदेशक, पुरातत्व निदेशालय को अनुशंसा भेजी थी, परन्तु 3 वर्ष बाद भी विभागीय उदासीनता के कारण स्थल की घेराबंदी या संरक्षण नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्राचीन धरोहर को तत्काल राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने तथा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-596, दिनांक 4 फरवरी, 2026 के आलोक में वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिले के बसहा स्थान अवस्थित आधुनिक मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित अधिष्ठापित है । इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा की जाती है । साथ ही यहाँ पर जनसामान्य स्तर से पुजारी भी नियुक्त है ।

(2) जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय का पत्रांक-26, दिनांक 8 मार्च, 2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बरैपुरा काली स्थान एवं बसहा स्थान की मंदिर करीब 30 वर्ष पुरानी है । ध्यातव्य है कि बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष को कम-से-कम 100 वर्ष से विद्यमान होने पर अधिसूचित किया जाता है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*1144. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के चांद प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिलौटा एवं भभुआ प्रखंड के +2 विद्यालय बहेरा में पक्की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण आवारा पशु तथा असामाजिक व्यक्तियों के आवागमन से पठन-पाठन कार्य बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पक्की चहारदीवारी बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल संरक्षण की व्यवस्था कराना

*1145. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के मदनपुर पंचायत के श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी के पास के पोखर एवं जीवछपुर के वार्ड नं0 07 अवस्थित पोखर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पोखरों के खाली पड़े भूमि पर वृक्षारोपण कर जल संरक्षण की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के मदनपुर पंचायत के श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी एवं जीवछपुर के वार्ड नं0 07 अवस्थित पोखर का जाँच कराया गया जिसमें पता चला कि मदनपुर पंचायत के श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी के पास का पोखर रामजानकी ट्रस्ट की भूमि है। ट्रस्ट के द्वारा पौधारोपण हेतु आवेदन समर्पित किये जाने पर पौधारोपण कार्य किया जा सकता है। जीवछपुर के वार्ड नं0 07 में अविस्थत पोखर निजी भूमि पर है, जिस पर जमीन मालिक के द्वारा कृषि वानिकी योजनान्तर्गत पौधारोपण किया जा सकता है एवं वन विभाग, जमीन मालिक के माँगे जाने पर आवश्यकतानुसार कृषि वानिकी योजना के तहत पौधों की आपूर्ति कर सकता है।

भवन निर्माण कराना

*1146. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के जोकीहाट में अवर निबंधन कार्यालय किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त निबंधन कार्यालय के भवन का निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अवर निबंधन कार्यालय, जोकीहाट के कार्यालय भवन, आवास एवं निबंधनार्थी जनता हेतु प्रतीक्षालय/शौचालय/जेनेरेटर कक्ष आदि के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, जोकीहाट के पत्रांक 525, दिनांक 6 जून, 2025 द्वारा निर्गत है।

प्रस्तावित भूमि मौजा सिसौना, खाता सं0 578, खेसरा सं0 1459 एवं 1460 कुल रकबा 50 डी0 भूमि पर विभागीय स्तर से पत्रांक 4690, दिनांक 4 अगस्त, 2025 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, अररिया द्वारा वर्णित भूमि का निरीक्षण किया गया एवं अंचल अमीन द्वारा प्रस्तावित भूमि की नापी की गई । अवर निबंधन कार्यालय, जोकीहाट के पत्रांक 24, दिनांक 16 जनवरी, 2026 के आलोक में अंचलाधिकारी, जोकीहाट द्वारा पत्रांक 109, दिनांक 24 जनवरी, 2026 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया से साईट प्लान बनाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी प्रक्रियाधीन है।

निबंधन कार्यालय का निर्माण

*1147. श्री नंद किशोर राम (क्षेत्र संख्या-02 रामनगर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड में निबंधन कार्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रामनगर प्रखंड में निबंधन कार्यालय का निर्माण हो जाने से रामनगर प्रखंड एवं गौनाहा प्रखंड के लोगों को निबंधन से संबंधित सुविधाओं का लाभ मिलेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों के लोगों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए रामनगर में निर्बधन कार्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आलोक में वर्ष 2022 में ही लौरिया प्रखंड में नया निबंधन कार्यालय सृजित एवं संचालित है। जिसका लाभ रामनगर प्रखंड के आम लोगों को भी पर्याप्त मिल रहा है।

(3) विभागीय पत्रांक 1102, दिनांक 9 मई, 2013 के माध्यम से नया निबंधन कार्यालय खोलने हेतु आवश्यक मापदण्डों का निर्धारण किया गया है।

नया निबंधन कार्यालय खोलने के लिए विभागीय पत्रांक 1102, दिनांक 9 मई, 2013 में उल्लेखित निम्न मापदण्डों का पर्याप्त होना आवश्यक है--

(क) सभी अनुमंडल मुख्यालय में अवर निबंधन खोले जाऐंगे यदि वहाँ न्यूनतम 8000 (आठ हजार) दस्तावेज का निबंधन संभावित हो। लेकिन अनुमंडल के क्षेत्राधिकार में निबंधन कार्यालय है अथवा मुख्यालय से 15 कि0मी0 की दूरी किसी प्रखंड मुख्यालय में पूर्व से अवर निबंधन कार्यालय खुला हुआ है अथवा अनुमंडल मुख्यालय में अवर निबंधन कार्यालय है तो ऐसे स्थान पर नया अवर निबंधन कार्यालय नहीं खोला जायेगा।

(ख) इसके अतिरिक्त प्रखंड मुख्यालय में नया अवर निबंधन कार्यालय खोला जाना है तो प्रस्तावित निबंधन कार्यालय से 15 कि0मी0 की दूरी में दूसरा निबंधन कार्यालय नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रस्तावित निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में न्यूनतम 8000 दस्तावेज का निबंधन गत तीन वर्ष के औसत दस्तावेज पर संभावित हो।

(घ) प्रस्तावित कार्यालय का वार्षिक राजस्व रु0 04 (चार) करोड़ संभावित हो।

विभागीय पत्रांक 457, दिनांक 24 जनवरी, 2022 द्वारा नये निबंधन कार्यालय के खोलने हेतु प्रस्तावित निबंधन कार्यालय सभी निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने पर भी कुछ मापदण्डों के आधार पर जनसुविधा हेतु नया निबंधन कार्यालय खोला जा सकता है।

रामनगर प्रखंड में विगत 03 वर्षों में औसत 1946 दस्तावेज निबंधित हुये हैं, जिससे 3.53 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग से निर्धारित आवश्यक मापदण्डों को पूरा नहीं करने की स्थिति में नये निबंधन कार्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

भवन निर्माण

*1148. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के विधिपुर में केशव उच्च विद्यालय है जिसका भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कराकर पठन-पाठन सुचारू रूप से कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली कराना

*1149. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग बिहार में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के अनुरूप व्यापक सुधार कर रहा है जिसमें राज्य के प्राथमिक एवं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में गुणात्मक सुधार देखे जा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के लगभग 43,000 प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) एवं 29,000 राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) में कार्यालय सहायक और परिचारी नहीं होने के कारण शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में कार्यालय सहायक और परिचारी की बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित कराना

*1150. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला का परिहार प्रखंड जिले के बड़े प्रखंडों में से एक है जिसके अंतर्गत 27 पंचायत है एवं वहां विद्यालयों की संख्या भी 250 से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में परिहार प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद खाली है एवं लगभग तीन साल से प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा कार्य निष्पादित किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की पदस्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति है कि श्रीमती पूनम कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी के पद पर दिनांक 7 जुलाई, 2023 से पदस्थापित रहकर दिनांक 30 नवम्बर, 2025 को सेवानिवृत्त हुई है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में अवर शिक्षा सेवा (प्रा0शा0) संवर्ग के कुल स्वीकृत 568 पदों के विरूद्ध वर्तमान में मात्र 122 पदाधिकारी कार्यरत है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 277, दिनांक 21 फरवरी, 2025 द्वारा प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त (वित्तीय प्रभार सहित) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्ति करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 3592, दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 के आलोक में श्री आनंद गौरव, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाहन से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, परिहार के अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत है।

राज्य में संचालित प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालयों के सतत् निरीक्षण अनुश्रवण एवं शिक्षा के विकास तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विद्यालय स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए औसतन लगभग 10 पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए कुल 935 पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

वर्ग कक्ष का निर्माण

*1151. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत गोनावाँ के ग्राम हुसैनखंधा में प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें बच्चों की संख्या 125 है तथा विद्यालय में मात्र दो कमरा अतिजर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय की चहारदीवारी एवं पर्याप्त वर्ग कक्ष नहीं होने के कारण विद्यालय संचालन मे काफी कठिनाइयाँ हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राथमिक विद्यालय, हुसैनखंधा में 2 अतिजर्जर कमरों के स्थान पर नये कमरे बनाने के साथ-साथ चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

वायु प्रदूषण नियंत्रण

*1152. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति अपने मानक गुणवत्ता से काफी अधिक है, जिसके कारण आम नागरिक आँखों की समस्या, त्वचा संबंधी रोग, अस्थमा आदि जैसे जटिल रोगों से प्रभावित हो रहे हैं यदि हाँ, तो सरकार कबतक वायु प्रदूषण को मानक सीमा के अंदर नियंत्रित रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक रूप से स्वीकारात्मक। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बिहार राज्य में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। राज्य में गैसीय प्रदूषकों यथा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, ओजोन इत्यादि की मात्रा राज्य सरकार के प्रयासों के कारण वायु गुणवत्ता मानकों के अधीन ही पाये गये हैं, जबकि धूलकण पदार्थ यथा श्वसन योग धूलकण (PM10), सूक्ष्म धूलकण (PM 2.5) की मात्रा मानक से अधिक पाये गये हैं।

गत वर्षों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index: AQI) में क्रमिक सुधार दर्ज किया गया है जो मानक के करीब है।

वित्तीय वर्ष	AQI स्तर	AQI श्रेणी
2022-23	185	मध्यम
2023-24	150	मध्यम
2024-25	124	मध्यम
2025-26	94	संतोषजनक

सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैसों की मात्रा मानक से काफी ज्यादा होने पर आँखों की समस्या वायु प्रदूषण के कारण आँखों की समस्या, त्वचा, संबंधी रोग, अस्थमा आदि रोगों से प्रभावित होने की संभावना है। परंतु प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में गैसीय प्रदूषक हमेशा अपने मानक के अधीन पाये गये हैं। गैसीय प्रदूषकों को मानक के अधीन होने पर इस प्रकार की बीमारियाँ से संबंधित जानकारी अभिलेखित एवं प्रमाणित नहीं है।

कक्ष का निर्माण

*1153. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के डोभी प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मसोधा एवं अकोनी में छात्रों के अनुपात में कमरों की संख्या कम रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त कमरा निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1154. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षक नियोजन नियमावली, 2012 के अंतर्गत स्थानीय निकाय की विभिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा बिहार के विभिन्न मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक (अंशकालिक) की बहाली की गयी है जिनकी नियुक्ति की शर्तें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सामान्य शिक्षकों के ही अनुरूप है तथा इनकी सेवा अवधि भी 60 वर्षों की है, यदि हाँ, तो सरकार इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की सेवा को पूर्णकालिक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पिंक बसों का परिचालन

*1155. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर विधान सभा के प्राणपुर एवं आजमनगर प्रखंड के लोग सरकार के महत्वाकांक्षी पिंक बस योजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों मे पिंक बस के परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*1156. श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र संख्या-115 बनियापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत छपरा में स्थित राजेन्द्र कॉलेजियट +2 विद्यालय का वर्ष 1940 ई० में स्थापना हुयी थी, जो अब जर्जर हो गया है एवं कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में लगभग 1800 से अधिक छात्र/छात्राओं का 10 कमरे के जर्जर भवन में पठन-पाठन हो रहा है लेकिन छात्र/छात्राओं के अनुरूप कमरा कक्ष काफी कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं 20 अतिरिक्त कमरा कक्ष का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय स्थापित कराना

*1157. सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर) क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये एक भी आवासीय विद्यालय उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त समाज के लोगों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है साथ ही उन्हें समेकित शैक्षणिक विकास करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के तारडीह प्रखण्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की बाहुल्यता के साथ-साथ आवासीय निर्माण हेतु प्रर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा के दृष्टिकोण से तारडीह प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आवासीय विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना

*1158. श्री पुरन लाल टुडु (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि संथाल समुदाय की पारंपरिक तीरंदाजी कला जो उनकी सांस्कृति पहचान एवं ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज के समय में उपेक्षा के कारण विलुप्त होने के कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में संथाल बहुल क्षेत्र बांका के कटोरिया में युवाओं को पारंपरिक तीरंदाजी का प्रशिक्षण देने हेतु एकलव्य तीरंदाजी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1159. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत टिकारी विधान सभा के कोंच प्रखण्ड स्थित ऐतिहासिक काबरगढ़ खेल मैदान स्टेडियम बनाये जाने हेतु सारी अर्हताएँ पूरी करता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि टिकारी अनुमण्डल से जिला मुख्यालय अत्यधिक दूर स्थित रहने के कारण खिलाड़ियों को आवागमन हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखण्ड कोंच के काबरगढ़ खेल मैदान में एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय की स्थापना

*1160. श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत गुठनी प्रखंड में एक भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं एवं आम नागरिकों को अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में पुस्तकालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महोत्सव का आयोजन

*1161. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन स्थित एनीकट के सोन नदी तट पर बाबा झारखंडी महादेव का काफी प्राचीन मंदिर अवस्थित है, जिसके दर्शन एवं पूजन हेतु भारी संख्या में श्रद्धालुओं का वहां आगमन होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मंदिर प्रांगण में झारखंडी महादेव महोत्सव का आयोजन प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1162. श्री मिथुन कुमार (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर विधान सभा क्षेत्र के नाथनगर प्रखण्ड में स्थित प्राथमिक विद्यालय, परमानन्द का भवन विगत 04 वर्षों से जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण उक्त विद्यालय के छात्र/छात्राएँ का पठन पाठन प्राथमिक विद्यालय, कंचन के मात्र 03 कमरे में कराने को मजबूर है, साथ ही नामांकित छात्र एवं शिक्षकों को पठन-पाठन में असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में प्राथमिक विद्यालय, परमानन्द का नया भवन निर्माण कराते हुये छात्र/छात्राओं की पढ़ाई कराये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति

*1163. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड टनकुप्पा के ग्राम पंचायत-डीबर के ग्राम मिश्रचक की जनसंख्या 1000 एवं ग्राम पंचायत-जगन्नाथपुर के ग्राम-अरंगा की जनसंख्या 1200 होने के बावजूद बच्चों को 3 कि०मी० दूरी तय कर प्राथमिक विद्यालय जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-मिश्रचक एवं ग्राम-अरंगा में नये प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी सेवाओं में अवसर देना

*1164. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा खेल कोटा नियुक्ति अन्तर्गत जुनियर नेशनल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की जाती रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 में खेल कोटा के अन्तर्गत की जा रही नियुक्तियों में जूनियर नेशनल पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति से बाहर रखा गया है जिस कारण जूनियर नेशनल विजेता खिलाड़ी नौकरी के लिये दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जबकि उनके अनुभव का लाभ बिहार के खिलाड़ियों को मिल सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जूनियर नेशनल पदक प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में अवसर देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक पुस्तकालय खोलना

*1165. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के ग्राम पंचायत विशनपुर में सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं में काफी रोष है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर एक नया भवन बनाकर पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा कुल 52 सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित एवं संचालित है, जिसमें 03 राजकीय पुस्तकालय के अतिरिक्त शेष सभी अराजकीय वर्गीकृत अनुदानित पुस्तकालय है। स्पष्ट करना है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के ग्राम पंचायत विशनपुर में नया भवन बनाकर पुस्तकालय खोलने से संबंधित सरकार स्तर पर अभी किसी प्रकार की योजना प्रस्तावित नहीं है।

विद्यालय भवन का निर्माण

*1166. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले प्रखंड के +2 श्री राम जी प्रिया उच्च विद्यालय, जोगियारा, +2 ठाकुर बिंदेश्वरी शर्मा उच्च विद्यालय, ब्रह्मपुर के विद्यालय भवन अत्यंत पुराने एवं जर्जर अवस्था में है, जिनकी छत, दीवारें एवं कक्षाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है तथा कभी भी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बड़ी संख्या में छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत हैं, किन्तु सुरक्षित, पर्याप्त एवं उपयोगी कक्षाओं के अभाव में पठन-पाठन कार्य बाधित हो रहा है, विशेषकर वर्षा ऋतु में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में नये भवनों का निर्माण कराने विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1167. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में कहलगांव और आस-पास के क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों वाले खेल मैदान के अभाव में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विक्रमशिला की ऐतिहासिक गरिमा को देखते हुये कहलगांव में एक 'बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम' निर्माण की योजना रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्नातक महाविद्यालय की स्थापना

*1168. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत घोसी विधान सभा क्षेत्र

के काको एवं हुलासगंज प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय नहीं हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय का निर्माण

*1169. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगांव प्रखंड के ग्राम पंचायत सौंया के ग्राम बरेनी में बालिका उच्च विद्यालय नहीं रहने से वहां की छात्राओं को काफी दूरी तय कर पढ़ने जाना पड़ता है, जिससे छात्राओं को काफी कठिनाइयों के साथ बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर विवश होना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वहां सरकारी जमीन होने के बावजूद भी आमजनों द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के लिये तैयार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में सरकारी जमीन पर बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1170. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत सोनपुर प्रखंड में मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके +2 विद्यालय में परिणत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालय, डुमरी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाँसिलपुर सहित तीन विद्यालयों का भवन अबतक नहीं बन पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अपग्रेड +2 विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करवाना

*1171. श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के महिषी प्रखण्ड के घोंघेपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, उदाही (बेलडबार) में विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी नहीं है, जिससे बच्चों को पठन-पाठन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में वर्ग कक्ष, भवन, रसोई घर के साथ चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*1172. श्री राम चन्द्र सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के गुरदी कोठी एवं भराठ में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से छोटे छोटे बच्चों को करीब 4 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है एवं आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार गुरदी कोठी एवं भराठ में नये प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवनों का निर्माण

*1173. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2647, दिनांक 21 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय का भवन खबड़ा में बनाये जाने हेतु जमीन दी गयी, परंतु अभीतक निगम द्वारा मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खबड़ा में मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जैव विविधता उद्यान का निर्माण

*1174. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड अन्तर्गत भीमलपुर वन क्षेत्र में प्रस्तावित जैव विविधता उद्यान के निर्माण की दिशा में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक 914, दिनांक 03 मई, 2025 के माध्यम से संपर्क पथ के निर्माण का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन अबतक कार्रवाई नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भीमलपुर में जैव विविधता उद्यान का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । विभागीय पत्रांक 174, दिनांक 08 जनवरी, 2026 द्वारा समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को भूमि के हस्तानांतरण हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। भूमि हस्तानांतरण के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

विचार करना

*1175. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में बालू खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व का 2% भाग जिला खनन फाउंडेसन (DMF) को प्राप्त होने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस राशि को खनन से प्रभावित क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज विधान सभा के सोन नदी किनारे के दर्जनों प्रभावित गाँवों में उक्त राशि से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालू खनन से जिला खनन फाउंडेशन (DMF) को प्राप्त राजस्व की 2% की राशि को खनन से प्रभावित इलाकों में खर्च करने सहित एक नीति बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । समाहर्ता, पटना के पत्रांक 372, दिनांक 02 फरवरी, 2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि बिहार राज्य अन्तर्गत प्रख्यापित बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के तहत लघु खनिजों के बावत वार्षिक नीलामी/बन्दोबस्ती राशि/ईंट मिट्टी की दशा में नियत वर्ग के अनुसार संयोजित रॉयल्टी/परमिटधारी द्वारा देय रॉयल्टी/विद्यमान पट्टाधारी द्वारा संदत्त रॉयल्टी के दो प्रतिशत भाग जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) में जमा किये जाने का प्रावधान है, जो संबंधित नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत प्रभावी है।

(2) स्वीकारात्मक । बिहार राज्य अन्तर्गत प्रख्यापित बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली,

2018 के तहत जिला खनिज फाउंडेशन के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुसार खनन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित एवं विकास कार्यों पर किये जाने का प्रावधान है, जिसमें पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देख भाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, वृद्ध और अशक्त लोगों का कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ सम्मिलित है।

(3) अस्वीकारात्मक । पटना जिलान्तर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन में प्राप्त राशि का उपयोग खनन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित एवं विकास कार्यों के लिये किया जा रहा है। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 5.51 करोड़ रु० की राशि व्यय की गयी है, जिसमें से माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित पालीगंज विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति एवं तीन विशेष रूप से बधिर (श्रवण बाधित) बच्चों को सामान्य रूप से सुनने एवं बोलने में सक्षम बनाने हेतु श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत पूर्ण इलाज सम्मिलित हैं।

(4) वर्तमान में जिला खनिज फाउण्डेशन (DMF) में प्राप्त राशि के खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यय करने के संबंध में बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 में प्रावधान है, जिसके तहत सभी जिलों में खनन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित तथा विकास कार्यों के लिये व्यय किया जा रहा है।

भवन निर्माण कराना

*1176. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियाँ प्रखण्ड के सिधपकला पंचायत के सिधपकला गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भवन वर्ष 2023-24 से अर्द्धनिर्मित पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन अर्द्धनिर्मित के कारण पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है जबकि लगभग 400 छात्र/छात्राएँ बगल के जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है, फिर भी संवेदक को भुगतान किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अर्द्धनिर्मित भवन के भुगतान की विभागीय स्तर से जाँच कराते हुये दोषियों पर कार्रवाई करते हुये उक्त अधूरे भवन निर्माण को कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

*1177. श्री सुरेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिले में थारू जन-जाति की बड़ी आबादी निवास करती है एवं यह समूह अनुसूचित जन-जाति में आती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थारू जन-जाति के लोगों को आरक्षण ना मिलने के कारण समुचित उच्च शिक्षा और रोजगार नहीं मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार थारू जन-जाति को शिक्षा एवं नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1178. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा विधान सभा क्षेत्र के कुर्सेल पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय, रामनगर वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुर्सेल में ही संचालित हो रहा है तथा उक्त विद्यालय का अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1179. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंचायतों में राजकीयकृत मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों के अंतर्गत पड़ने वाले राजकीयकृत मध्य विद्यालय का उत्क्रमण, उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में नहीं हुआ है, जिसके कारण नगर निकायों की सीमा के अंतर्गत आने वाले छात्र-छात्राएं उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक नगर निकायों के अन्तर्गत आने वाले मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1180. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बलदेव उच्च विद्यालय क्रीड़ा मैदान, भवानीपुर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, टीकापट्टी में मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खेल मैदान पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबाल आदि टूर्नामेंट एवं सभा का आयोजन होता है, परन्तु स्टेडियम एवं सभा मंच नहीं होने के कारण दर्शक दीर्घा एवं सभा का आयोजन करने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम एवं सभा मंच का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1181. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड में विदेश्वर गुणेश्वर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीठ भगवानपुर का वर्ष 2010 से 2015 के मध्य कराये गये भवन निर्माण का कार्य अबतक अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अधूरे भवन के निर्माण कार्य एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना ने संचिका संख्या 11/वि-11-35/2023 (317640-05), दिनांक 02 जनवरी, 2024 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को पत्र प्रेषित किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधेपुर प्रखंड के विदेश्वर गुणेश्वर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीठ भगवानपुर के अधूरे भवन के कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1182. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, अमझर शरीफ, हसपुरा उर्दू मध्य विद्यालय, अमझर शरीफ हसपुरा के भवन में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय एक ही भवन में अवस्थित होने से छात्रों के अनुपात में वर्ग कक्ष कम होने से दो शिफ्ट में पढ़ाई होती है, साथ ही उक्त उर्दू मध्य विद्यालय का भवन भी जर्जर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पुराने जर्जर भवन का जीर्णोद्धार एवं नए वर्ग कक्षों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सहायता राशि बढ़ाना

*1183. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर ग्यारह सौ रुपये की सहायता राशि प्राप्त करायी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विधवाओं को दी जानेवाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सहायता राशि ग्यारह सौ को वृद्धि कर बाइस सौ रुपये करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1184. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर प्रखंड अवस्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, सुजातपुर NH-527C के निकट स्थित है, जिसमें चहारदीवारी एवं गेट नहीं रहने के कारण बच्चों के साथ अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित विद्यालय में चहारदीवारी तथा एक गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*1185. श्री संतोष कुमार निराला (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत राजपुर के ग्राम-राजपुर में उत्कृष्ट खेल मैदान अवस्थित नहीं है, जिससे ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा बाधित होती है एवं युवाओं को पुलिस आदि की शारीरिक दक्षता की तैयारी प्रभावित होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राजपुर ग्राम के राजपुर उच्च विद्यालय के समीप खेल मैदान का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निरीक्षण एवं भवन की मरम्मती

*1186. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पांचगाछी नवनिर्मित विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है तथा उक्त विद्यालय भवन का कक्ष अतिक्रमित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय विभागीय निरीक्षण एवं भवन की मरम्मती कराने का का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम के रूप में विकसित करना

*1187. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला मुख्यालय अंतर्गत मिंज स्टेडियम तथा भि०एम० फील्ड मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, भि०एम० फील्ड की चहारदीवारी टूट गयी है, मैदान गड्ढा युक्त है तथा मिंज स्टेडियम का गैलरी जर्जर हो चुका है जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों स्टेडियम के आर्दश स्टेडियम बन जाने से खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे प्रतिभा और निखर कर दिखेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त दोनों स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1188. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा एक एजेंसी (global informatics india pvt. Ltd.) के माध्यम से प्रत्येक जिले में चार सृजित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन, मधेपुरा के गोपनीय शाखा द्वारा उक्त नियुक्ति में ठगी एवं धांधली को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापांक 3974, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 द्वारा पत्र भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धांधली की जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*1189. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार की नई नीति के तहत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड स्थित बिराहिम उच्च विद्यालय, आरा प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय, धमार एवं कोईलवर प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय, राजापुर के पास डिग्री महाविद्यालय के लिए पर्याप्त जमीन/संरचना उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित उच्च विद्यालयों की जमीन पर डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*1190. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 570, दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए यू०टी०आई० रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड की स्वीकृति दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पेंशन फंड के तहत नियोजित शिक्षकों को दी जाने वाली सरकारी अंशदान के बकाया राशि के भुगतान की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 191, दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा देते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से भुगतान संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी है,

फिर भी फुलवारीशरीफ अंचल, पटना एवं मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के पेंशन फंड खाते में जनवरी, 2013 से अगस्त, 2020 तक बकाया अंशदान की राशि अबतक खाते में नहीं जमा की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अंशदान के बकाया राशि का भुगतान करने का विचार विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*1191. श्रीमती बिनिता मेहता (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के गोविंदपुर विधान सभा क्षेत्र में अबतक कोई सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं है जिसके कारण स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार गोविंदपुर विधान सभा क्षेत्र के गोविंदपुर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय (विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों सहित) खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1192. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक खेल स्टेडियम निर्माण की सरकार की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के रफीगंज और मदनपुर प्रखंड में खेल मैदान की भूमि की उपलब्धता के बाद भी आजतक स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को विकास से वंचित रहना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रफीगंज और मदनपुर प्रखंड में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन चालू कराना

*1193. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नगर निगम, पूर्णियाँ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग 1324 लाभुकों को मृत घोषित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर निगम कर्मियों की इस लापरवाही के कारण श्री रामसागर चौधरी, श्रीमती भानु देवी एवं श्री विनोद चौधरी सहित सैकड़ों बुजुर्ग अपनी पहचान और जीवित होने का प्रमाण लेकर बंद पेंशन को चालू करवाने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर निगम कर्मी द्वारा की गई लापरवाही की जांच कराते हुए मृत घोषित हुए जीवित लाभुकों को यथाशीघ्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू कराने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ द्वारा प्रश्नांकित लाभार्थी श्री रामसागर चौधरी, श्रीमती भानु देवी एवं श्री विनोद चौधरी का पेंशन पुनः चालू कर दिया गया है।

(3) जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 111, दिनांक 05 फरवरी, 2026 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत कुल 1324 लाभुकों के स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर मृत प्रतिवेदित किया गया था। मृत लाभुकों की सूची का पुनः वार्ड पर्यवेक्षक से जाँच करवाया जा रहा है। अभीतक कुल 71 लाभुक

जीवित पाये गये हैं, जिनका पेंशन चालू करवाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी वार्ड पर्यवेक्षकों/संबंधित कर्मियों से नगर निगम कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। मृत लाभुकों के संबंध में डोर-टू-डोर भौतिक जीवन प्रमाणीकरण कराते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सभी वार्ड पर्यवेक्षक/संबंधित कर्मी का मानदेय स्थगित किया गया है एवं जीवित लाभुकों का सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनका पेंशन चालू कर दिया जायेगा।

बीपीएल योजना का भुगतान

*1194. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-137 मोहिउद्दीननगर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 137 मोहिउद्दीननगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बीपीएल परिवारों को मिलने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का ससमय भुगतान नहीं होकर वर्षों से लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्या का निदान कबतक, करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि 137 मोहिउद्दीननगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मोहिउद्दीननगर, पटोरी एवं मोहनपुर प्रखंड आते हैं। इन तीनों प्रखंड में बीपीएल परिवारों को मिलने वाली राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, एवं 2025-26 में लाभान्वितों की विवरणी निम्नवत है:-

वर्ष 2023-24 में मोहिउद्दीननगर में 51 लाभुकों, पटोरी प्रखंड में 23 लाभुकों एवं मोहनपुर प्रखंड में कुल 23 लाभुकों को योजना के लाभ से आच्छादित किया गया है।

वर्ष 2024-25 में मोहिउद्दीननगर में 12 लाभुकों, पटोरी प्रखंड में 04 लाभुकों एवं मोहनपुर प्रखंड में कुल 06 लाभुकों को योजना के लाभ से आच्छादित किया गया है।

वर्ष 2025-26 में मोहिउद्दीननगर में 22 लाभुकों, पटोरी प्रखंड में 16 लाभुकों एवं मोहनपुर प्रखंड में कुल 9 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है एवं भुगतान हेतु Lock for payment करते हुए NSAP को भेज दिया गया है।

विदित हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में राशि विमुक्त की जाती है। विमुक्त राशि से पात्र लाभुकों को स्वीकृति के पश्चात् NSAP-PPS Portal के माध्यम से भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

भवन का निर्माण

*1195. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड में कुमेर एवं घोड़सारी उच्च विद्यालय है, जिसका पठन-पाठन कार्य मध्य विद्यालय के भवनों में ही संचालित किये जा रहे है, जिससे शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उच्च विद्यालयों का भवन कबतक बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

ईंट भट्ठा को बंद कराना

*1196. मो० तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत के बहादुरगंज प्रखंड में 20 से अधिक ईंट भट्ठा अवैध रूप से चालू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ईंट भट्ठा में सरकारी नियम के विरुद्ध अवैध ढंग से खान एवं भूतत्व पदाधिकारी से मिलकर मिट्टी की कटाई कर ईंट का निर्माण किया जाता है जिससे हो रहे प्रदूषण से वहाँ की जनता पीड़ित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अवैध रूप में चल रही ईंट भट्ठा को बंद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति कराना

*1197. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के पदाधिकारी के नियुक्ति के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 11/अधि० कार्या० 01-06-/2016/4028, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 की धारा (6) में उत्पाद उप-अधीक्षक के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पद के पदधारक नहीं होने के कारण अनुमंडल स्तर पर पूर्ण शराबबंदी कार्यक्रम को नियंत्रित कराने में दिक्कत हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सृजित पद पर प्रोन्नति द्वारा रिक्ति को भरने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या 4028, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा (6) के आलोक में विभाग के पदाधिकारियों को उत्पाद पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित (Desinates) किये जाने का आदेश निर्गत है, जिसमें अन्य पदाधिकारियों के साथ उप-अधीक्षक उत्पाद का पद भी अंकित किया गया था। किन्तु वर्ष 2018 से लागू बिहार मद्य निषेध सेवा (भर्ती सेवा शर्तें) नियमावली 2018 एवं बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली 2018 में उप-अधीक्षक उत्पाद का पद सम्मिलित नहीं है। विदित हो कि पूर्व में प्रवृत्त बिहार उत्पाद सेवा (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली 2009 में भी उप-अधीक्षक उत्पाद का पद सम्मिलित नहीं था।

(2) अस्वीकारात्मक। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर संचालित उत्पाद थाना में पदस्थापित निरीक्षक मद्य निषेध एवं अन्य मद्य निषेध पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण शराबबंदी कार्यक्रम को नियंत्रित करने में समुचित योगदान दिया जा रहा है, जिसके कारण अनुमंडल स्तर पर पूर्ण शराबबंदी कार्यक्रम को नियंत्रित कराने में समस्या नहीं है।

विदित हो कि बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली 2018 के नियम (15) का उप-नियम (2) में निरीक्षक मद्य निषेध का कार्यक्षेत्र ''मद्य निषेध अनुमंडल'' निर्धारित किया गया है।

(3) अस्वीकारात्मक। उप-अधीक्षक उत्पाद का पद सृजित नहीं रहने के कारण रिक्ति की स्थिति नहीं बनती है।

आंगनबाड़ी भवन का निर्माण

*1198. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनियां)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अंतर्गत मोहनियां प्रखंड के मोहनियां नगर के वार्ड नंबर 6 में आंगनबाड़ी भवन नहीं है जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को और महिलाओं को सुविधाएँ नहीं मिल पाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मोहनियां प्रखंड के सोनिया नगर के वार्ड नंबर 6 मे आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बंदरों का संरक्षण

*1199. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के कहरा प्रखंड में बंदरों के द्वारा झुंड में किसानों के खेत में लगी फसल जैसे धान, गेंहू, मक्का, आलू आदि को घंटे भर में नष्ट कर देते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सहरसा जिला के कहरा प्रखंड में एक वन जीव संरक्षण अभ्यारण का निर्माण की कार्रवाई करने का विगत 4 वर्ष पहले निर्णय लिया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बंदरों के उद्देश्य से कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1200. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखण्ड चकाई एवं प्रखंड सोनो में आउटडोर स्टेडियम की स्थापना आजतक नहीं हो पायी है, जिससे युवाओं खासकर छात्राओं को खेल-कूद में काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक युवाओं एवं छात्र-छात्राओं के हित में उक्त वर्णित प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थायी नियुक्ति कराना

'ख'*1201. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में मैथिली भाषा, मैथिली साहित्य/कला और संस्कृति को संरक्षण और संवर्द्धन देने के उद्देश्य से वर्ष 1976 में स्वतंत्र और स्वायत संस्था के रूप में मैथिली अकादमी की स्थापना की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अकादमी के कर्मचारियों की अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति किए जाने और स्थायी नियुक्ति के अभाव में अकादमी आज बंदी के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार का एकमात्र संवैधानिक भाषा मैथिली के संरक्षण और संवर्द्धन हेतु कार्यरत मैथिली अकादमी में कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1202. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर प्रखंड के खुटहा पंचायत स्थित दियारा उच्च विद्यालय का अपना खेल मैदान है, परंतु मैदान में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण यहाँ अतिक्रमण का गंभीर खतरा बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालय के खेल मैदान की चहारदीवारी का निर्माण कर उसे मिनी स्टेडियम के रूप में बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व की वसूली

*1203. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुप्पी अंचल के जमला परसा में सिंचाई विभाग का बागमती नदी पर तटबंध बना हुआ है जहां से बागमती प्रमंडल सीतामढ़ी के अभियंताओं/संवेदक के द्वारा तटबंध से करीब 7000 घन मिट्टी अन्यत्र ले जाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रकार से काटे गये मिट्टी पर खान एवं भूतत्व विभाग के

नोट— 'ख' कला एवं संस्कृति विभाग के ज्ञापंक सं० 164, दिनांक 10 फरवरी, 2026 द्वारा शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित ।

द्वारा अनुमति दिया जाना आवश्यक था जिसका अनुपालन नहीं होने के कारण खान एवं भूतत्व विभाग को राजस्व की क्षति हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक संवेदक द्वारा बागमती तटबंध (जमला ग्राम) से काटे गये मिट्टी की मात्रा के अनुपात में खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा लागू दर से राजस्व की वसूली दंड सहित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का पुनर्निर्माण

'ग'*1204. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर नगर परिषद् क्षेत्र के कोरमा गाँव स्थित माता कस्तूरबा बालिका विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है और भवन के गिरने की आशंका है जिससे छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*1205. श्री विशाल कुमार (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चंपारण प्रखंड बंजरिया, छौड़ादानों, बनकटवा विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय बनायी गयी है, उन सभी स्कूलों में चहारदीवारी भवन के अभाव में बच्चों की पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उक्त विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों के अभाव में बच्चों को विषयवार शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के वर्णित विद्यालयों के भवन एवं चहारदीवारी निर्माण के साथ विषयवार शिक्षकों को कबतक प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1206. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखण्ड में जया नन्द महाविद्यालय, नेहरा का भवन जर्जर स्थिति में है तथा चहारदीवारी नहीं रहने के कारण महाविद्यालय में अध्यापन कार्य में कठिनाइयाँ होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय के भवन के जीर्णोद्धार के साथ चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कक्ष का निर्माण

*1207. श्रीमती अश्वमेध देवी (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च

नोट— 'ग'- समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं० 822, दिनांक 11 फरवरी, 2026 द्वारा शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित ।

माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुर एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चकनुर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों को उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं के नामांकन में वृद्धि होने से कमरा के अभाव में अलग स्थान पर पढ़ने को मजबूर हैं जिससे छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों को पठन-पाठन में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्र छात्राओं के दृष्टिकोण से अतिरिक्त कमरों का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1208. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत रजवा पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवा का संचालन उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रजवा में किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता के बाद भी भवन का निर्माण नहीं कराए जाने से उच्च विद्यालय एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोनों के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उच्च विद्यालय, रजवा के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री (1) वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवा +2 विद्यालय जो नवसृजित उच्च विद्यालय है। विभागीय पत्रांक 876, दिनांक 07 जून, 2021 द्वारा निदेश के अनुसार मध्य विद्यालय, रजवा में संचालित है। इसमें वर्ग नवम् से बारहवीं तक कक्षा संचालन किया जाता है। इस विद्यालय में छात्रों की संख्या 175 है। यह विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रजवा हिन्दी के तीन कमरों में संचालित है।

(2) उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवा के भवन निर्माण हेतु संबंधित पंचायत में अबतक भूमि उपलब्ध नहीं हो सका है। फलस्वरूप उच्च माध्यमिक विद्यालय के अलग से भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकी है।

(3) इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त कंडिका में सन्निहित है।

महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभाग खोलना

*1209. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में 13 सरकारी विश्वविद्यालय एवं लगभग 495 महाविद्यालयों (संबंध 227+अंगीभूत 268) में शारीरिक शिक्षा विभाग नहीं रहने के कारण छात्रा-छात्राओं को कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के छात्र/छात्राओं को बी०पी०ई०डी०, एम०पी०ई०डी० की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों से शिक्षा लेने के लिए विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभाग कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री -(1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर एक पदाधिकारी शारीरिक शिक्षा से जुड़े गतिविधियों के लिए प्राधिकृत रहते हैं।

राज्य सरकार के विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्त उत्तर।

(3) उपरोक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

विद्यालय भवन का निर्माण

*1210. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के मांझा प्रखंड अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करनपुरा का संचालन उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पिपरा (उर्दू) के परिसर में है, जबकि उक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करनपुरा मांझा के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1211. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत बनमनखी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, संथाल टोला, रमजानी एवं प्राथमिक विद्यालय, मुसहरनिया टोला, काझी अबतक भवनहीन है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवनहीन विद्यालयों में विद्यालय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1212. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत फेनहारा प्रखंड के मनकरवा ग्राम के वार्ड नं० 1 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, अढ़ाई आना, मनकरवा के भवन निर्माण हेतु जमीन (खाता सं० 85, खेसरा 895, थाना नं० 225, रकबा 3.52) भू-दाताओं द्वारा राज्यपाल के नाम से दो वर्ष पूर्व रजिस्ट्री कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर विद्यालय का निर्माण अभीतक नहीं हो सका है जिसके कारण 4 कि०मी० दूर उ०म०वि०, कन्या, पीपरा में समायोजित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, अढ़ाई आना, मनकरवा का भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रदूषण मुक्त कराना

*1213. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चंपारण अंतर्गत प्रखंड सुगौली के बीचों-बीच होकर बुढ़ी गंडक नदी प्रवाहित होती है जिसमें मिलनेवाली छोटी नदियाँ रामरेखा नदी, हड़बोड़ा नदी एवं कोहड़ा नदी प्रमुख है, क्रमशः रामनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल एवं मझौलिया चीनी मिलों द्वारा बड़े पैमाने पर इन नदियों में अवशिष्ट (प्रदूषित) गंदे एवं जहरीले पानी प्रवाहित करती रहती है जिसके परिणामस्वरूप जल में फैल रहे प्रदूषण से मछलियाँ मर रही हैं, पशु बीमार हो रहे हैं, हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है तथा प्रदूषित पानी से नदी किनारे बसे आमलोगों के स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए बुढ़ी गंडक नदी के जल को प्रदूषण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1214. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण ज़िला अंतर्गत आदापुर प्रखण्ड के बरवा पंचायत के ग्राम गुलरिया में स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में है जिसके कारण दूसरे विद्यालय में समाहित कर संचालित किया जा रहा है, जिससे गुलरिया ग्राम के बच्चों को पठन पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के जर्जर भवन के स्थान पर नए भवन निर्माण की योजना रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1215. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ नगर परिषद् में अवस्थित एस०एस०गर्ल्स 10+2 हाई स्कूल में छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों एवं वर्ग कक्ष में कमी होने के साथ ही उक्त विद्यालय की चहारदीवारी नहीं होने के कारण पठन-पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष सहित मूलभूत सुविधा के साथ-साथ चहारदीवारी का निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1216. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दारौंदा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौंदा प्रखण्ड के उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, हडसर धनौती एवं गुंजेश्वरी उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज, रूकुन्दीपुर के विद्यालय परिसर का चहारदीवारी नहीं होने से नशेड़ियों एवं आवारा पशुओं का जमघट लगा रहता है, जिससे छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालयों के परिसर के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आई०टी०आई० कालेज खोलना

*1217. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड मुख्यालय में आई०टी०आई० कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण एवं पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नवीनगर में आई०टी०आई० कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना था। राज्य के प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में एक सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

उल्लेखनीय है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड औरंगाबाद अनुमंडल में पड़ता है औरंगाबाद अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बभण्डी, औरंगाबाद (LWE) तथा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद स्थापित है।

औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुल 04 (चार) सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संचालित है, जो निम्नवत है:--

क्र० सं०	अनुमंडल का नाम	संस्थान का नाम
1	औरंगाबाद	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद
2	दाउदनगर	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दाउदनगर
3	औरंगाबाद	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बभण्डी, औरंगाबाद (LWE)
4	औरंगाबाद	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद

औरंगाबाद जिलान्तर्गत स्थापित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त जिला के इच्छुक युवक/युवती व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में उपर्युक्त के अतिरिक्त औरंगाबाद जिलान्तर्गत कोई अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

छात्रावास का निर्माण

*1218. श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत नगर प्रखंड के धनसिर पंचायत सहित औरवां नैली एवं खिरियावां में लगभग 15000 SC/ST समाज के लोग रहते हैं, परंतु उक्त एससी/एसटी बहुल क्षेत्र में एक भी अंबेडकर विद्यालय सहित छात्रावास नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि धनसिर पंचायत में अंबेडकर विद्यालय सहित छात्रावास नहीं रहने के कारण एससी/एसटी छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन से वंचित रहना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एससी/एसटी छात्र-छात्राओं के कल्याण हेतु नगर प्रंखड के धनसिर पंचायत में अंबेडकर विद्यालय सहित अंबेडकर छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि :--

- राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिन प्रखंडों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 50000 से अधिक है तथा वर्तमान में डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उस प्रखंड में एक 720 आसन वाले डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

• पूर्व से गयाजी जिला के नगर प्रखंड में विभाग द्वारा डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, नगर दुबे संचालित है।

• पंचायत स्तर पर डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

निबंधन कार्यालय खोलना

*1219. डॉ॰ कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिले के बरबीघा में अवर निबंधन कार्यालय नहीं होने से बरबीघा एवं उसके आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी को भूमि एवं अन्य निबंधन कार्यों के लिये लगभग 20 किलो मीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बरबीघा में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिये अवर निबंध न कार्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*1220. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण का निर्णय एक वर्ष पूर्व लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि इस प्रखंड में उच्च विद्यालय, महादेव साह के नाम से 20 एकड़ सरकारी भूमि शिक्षा विभाग की खाली पड़ी हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खाली पड़ी सरकारी भूमि पर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?.

भवन का निर्माण

*1221. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत प्रखंड बैसा में आँगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 210 एवं अमौर प्रखंड में 310 हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैसा प्रखंड में 210 आँगनबाड़ी केंद्रो में से 120 एवं अमौर प्रखंड में 320 में से 210 आँगनबाड़ी केंद्र भवनहीन है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी संख्या में आँगनबाड़ी केंद्रों का भवन न होने के कारण छोटे बच्चे-बच्चियों को आँगनबाड़ी केंद्र में बैठने में कठिनाई हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित प्रखंडों के भवनहीन आँगनबाड़ी केंद्रों में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। बैसा प्रखंड में 210 आँगनबाड़ी केंद्र में से 90 आँगनबाड़ी केंद्र आई॰सी॰डी॰एस॰ का अपना भवन में 67 केंद्र विद्यालय में एवं 01 केंद्र पंचायत भवन में संचालित है।

अमौर प्रखंड में 310 आँगनबाड़ी केन्द्र में से 99 आँगनबाड़ी केन्द्र आई॰सी॰डी॰एस॰ का अपना भवन में 57 केन्द्र विद्यालय में एवं 01 केन्द्र सामुदायिक भवन में संचालित है।

(3) अस्वीकारात्मक। भवनहीन आँगनबाड़ी केंद्र को विभागीय मानक के अनुरूप किराया के भवन में संचालित करवाया जा रहा है।

(4) बैसा प्रखंड में मनरेगा से 04 आँगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण एवं अमौर प्रखंड में 02 आँगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण करवाया गया है।

RIDF XXX नाबार्ड निधि से 02 आँगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण बाल विकास परियोजना, बैसा में स्वीकृत है।

पहुँच पथ का निर्माण

*1222. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सिंहपुर पश्चिम पंचायत के मौजमावाद में प्राथमिक विद्यालय, कछुआ मौजमावाद है जिसमें मुख्य सड़क से विद्यालय पहुंच पथ नहीं होने के कारण बच्चों के आने-जाने में काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार विद्यालय तक पहुँच पथ के निर्माण हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1223. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मोतिहारी नगर में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद अनुसूचित जाति छात्रावास जो लगभग 60-70 वर्ष पुराना है, ध्वस्त होने के कगार पर है एवं जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जर्जर छात्रावास को ध्वस्त कर एवं खाली जगह मिला कर नई तकनीक से बड़ा छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1224. श्रीमती श्वेता गुप्ता (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, मझौरा के भवन निर्माण का कार्य विगत 2 वर्षों से संविदा के उपरांत कार्य आदेश भी निकल जाने के बाद निर्माण कार्य बंद पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आंगनगबाड़ी केन्द्र खोलना

*1225. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत नगर पंचायत, अमदाबाद के वार्ड संख्या-03 में 2000 की जनसंख्या में एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ एक और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 85, दिनांक 28 जनवरी, 2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाल विकास परियोजना, अमदाबाद के नगर पंचायत वार्ड नं0-03 में 2000 से अधिक की जनसंख्या है। नगर पंचायत का यह वार्ड पूर्व में पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत दो वार्ड, वार्ड नं0-01 एवं वार्ड नं0-02 से मिल कर बना है। वार्ड नं0-01 (पंचायती राज) में आँगनबाड़ी केन्द्र गोपालपुर, केन्द्र संख्या-01, सेविका संध्या घोष के द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं वार्ड नं0-02 (पंचायती राज) रिक्त है।

विभागीय नियमानुसार प्रति 800-1000 जनसंख्या पर एक आँगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। फलस्वरूप शेष जनसंख्या के लिये प्रखण्ड अमदाबाद के नगर पंचायत के वार्ड नं0-03 में एक और आँगनबाड़ी खोले जाने की आवश्यकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक CD-I-11/7/2025-CD-I, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों को विस्तारीकरण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त है, जिसपर कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*1226. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के गुरारू प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रौना ग्राम गरजु बिगहा में महादलितों एवं अतिपिछड़ा समाज की आबादी लगभग 500 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम-गरजु बिगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण सभी छात्र/छात्रायें गाँव से 4 कि0मी0 दूर जाकर पढ़ाई करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में गुरारू प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रौना ग्राम-गरजु बिगहा में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल परिसर का निर्माण

*1227. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के संग्रामपुर एवं केशरिया प्रखंड में खेल परिसर नहीं रहने के कारण खेल-खिलाड़ियों को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक खेल परिसर का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*1228. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प0 चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड चनपटिया के पंचायत खर्ग पोखरिया, वार्ड नंबर 7 में मुसहर बस्ती में प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसका संचालन सामुदायिक भवन, खर्ग पोखरिया में सिर्फ एक कमरा में संचालित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराकर विद्यालय संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नावों का परिचालन कराना

*1229. श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित पंचायत कित्ता चौहत्तर पूर्वी, मध्य सहित 6 पंचायतों में निवासित लोगों के लिए नावों द्वारा बालू का व्यापार ही जिविकोपार्जन का एक मात्र साधन है, परंतु नावों का परिचालन बंद होने के कारण उक्त वर्णित पंचायतों के निवासित हजारों परिवार के सामने भूखमरी का आलम है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बालू का चालान निर्गत कर नावों का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1230. श्री फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड में अबतक अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण छात्रावास का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक घोड़ासहन प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई चालू कराना

*1231. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतालने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का मुरारका महाविद्यालय, सुलतानगंज में आर्ट्स, साइंस एवं कामर्स संकायों में केवल आनर्स स्तर तक की पढ़ाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त महाविद्यालय पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलित तथा कमजोर सवर्ण बहुल क्षेत्र में स्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुरारका कॉलेज, सुलतानगंज में स्नातकोत्तर (पी0 जी0) की पढ़ाई चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1232. श्री शम्भु नाथ यादव (क्षेत्र संख्या-199 ब्रहमपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के सेमरी प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत सईहाट में खाता सं0-17 खेसरा सं0-619 में बलिराम पाण्डेय, पिता-स्व0 बुद्धन पाण्डेय द्वारा 6.5 डिसमील जमीन नव सृजित बाबा बुद्धन पाण्डेय प्राथमिक विद्यालय, दुल्लहपुर के नाम से विद्यालय बनाने हेतु डीड सं0-10916, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 को महामहिम राज्यपाल के नाम से जमीन दान दिए हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन पर आजतक विद्यालय बनाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित जमीन पर विद्यालय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आधारभूत संरचना की व्यवस्था

*1233. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के डपरखा में अवस्थित डिग्री महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार है, परन्तु उक्त डिग्री महाविद्यालय में पठन-पाठन का कार्य नहीं हो रहा है जिससे बच्चों को परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त डिग्री महाविद्यालय का भवन में आधारभूत संरचना जैसे-पानी, बिजली, चहारदीवारी आदि नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त डिग्री महाविद्यालय में आधारभूत संरचना की व्यवस्था करवाकर भवन कबतक महाविद्यालय को सौंपने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय महोत्सव का आयोजन

*1234. श्रीमती दीपा कुमारी (क्षेत्र संख्या-227 इमामगंज)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के बाँकेबाजार प्रखंड अन्तर्गत बाँकेबाजार स्थित बाबाधाम पहाड़ी में भगवान शिव (शंकर जी) का प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है, जहाँ सालो भर श्रद्धालु पूजा-दर्शन के लिए आते रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्रावन माह में उक्त मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु काँवर लेकर पूजा-अर्चना करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर परिसर में श्रावन माह के दौरान सरकारी महोत्सव/राजकीय आयोजन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कॉलेज खोलना

*1235. मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में एक भी सरकारी बी0 एड0 कॉलेज नहीं है, फलस्वरूप जिले के बच्चों को बी0 एड0 की पढ़ाई के लिए जिले से बाहर जाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किशनगंज जिला मुख्यालय में सरकारी बी0 एड0 कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*1236. श्रीमती छोटी कुमारी (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रिविलगंज प्रखंड अंतर्गत इनई कन्या विद्यालय को 10+2 (उच्च माध्यमिक) में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन वहां छात्राओं की संख्या के अनुपात में कमरों का नितांत अभाव है जिसके कारण छात्राओं को बैठने में असुविधा होती है और प्रयोगशाला (Labs) तथा पुस्तकालय का संचालन भी बाधित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त 10+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्ष प्रयोगशाला (Labs) तथा पुस्तकालय का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*1237. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखण्ड में खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक भी स्टेडियम नहीं है साथ ही उक्त प्रखण्ड +2 उ0 वि0 मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेडियम के नहीं रहने से प्रतिभावान खिलाड़ियों का प्रतिभा निखर नहीं पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खिलाड़ियों के लिए खुटौना +2 उच्च विद्यालय मैदान में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय-सह-छात्रावास खोलना

*1238. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु +2 उच्च विद्यालय-सह-छात्रावास नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विभूतिपुर में +2 उच्च विद्यालय-सह-छात्रावास खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवार की छात्राओं के लिए राज्य के 38 जिलें में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं ।

समस्तीपुर जिलान्तर्गत ध्रुवागामा, प्रखंड-कल्याणपुर में 520 आवासन क्षमता वाला एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं।

इसके अतिरिक्त समस्तीपुर जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कल्याणपुर प्रखंड के मुक्तापुर में 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास तथा रोसड़ा प्रखंड (यू0 आर0 कॉलेज) में 100 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास संचालित हैं।

वर्तमान में विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहायता राशि ससमय देना

'घ'-*1239. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के अंदर श्रम कार्ड के अंतर्गत गरीब श्रमिक परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि का प्रावधान है, जिसमें पंजीकरण के तीन वर्ष बाद ही लाभ दिया जाता है, जिससे अत्यंत गरीब परिवारों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के कई जिलों में विवाह की तिथि निकट होने के बावजूद पात्र परिवार सहायता से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सहायता राशि को ससमय लाभुकों को देने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'घ'-समाज कल्याण विभाग के ज्ञाप संख्या-228, दिनांक 10 फरवरी, 2026 द्वारा श्रम संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*1240. श्री महेश पासवान (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव (अ०जा०))--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगियांव विधान सभा क्षेत्र में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बहुत से बच्चे परिवार के आर्थिक अभाव में अन्यत्र जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गड़हनी प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*1241. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकड़ीबरावाँ प्रखंड में अल्पसंख्यकों की काफी आबादी है, छात्राओं के लिये एक भी उर्दू बालिका इंटर विद्यालय नहीं है, जिससे अल्पसंख्यक छात्राओं को इंटर तक पढ़ाई करने में परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पकड़ीबरावाँ प्रखंड के ग्राम ज्यूरी में उर्दू बालिका इंटर विद्यालय स्थापित करवाने हेतु जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पकड़ीबरावाँ प्रखंड के ग्राम ज्यूरी में उर्दू बालिका इंटर विद्यालय स्थापित करवाने का विचार रखती रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1242. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखंड के पंचायत अकौना के ग्राम चान्देडीह के वार्ड नं० 11 में प्राथमिक विद्यालय चान्देडीह है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है, जिससे अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1243. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के छाजन पूर्वी पंचायत के +2 उच्च विद्यालय तेलीया में चहारदीवारी नहीं है, जिसके कारण जानवर अंदर प्रवेश कर जाता है कभी भी हादसा हो सकता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मोर ग्राम को रूप में विकसित करना

*1244. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 18 दिसंबर 2016 को निश्चय यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटेया प्रखंड के आरण गाँव में मोर को देखने हेतु ''मोर ग्राम'' विकसित करने की घोषणा की गई थी एवं सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राशि भी स्वीकृत की गई, परंतु अबतक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार आरण गाँव को ''मोर ग्राम'' के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष एवं चहारदीवरी का निर्माण

*1245. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लाउढ को कक्षा के अनुरूप का कक्ष नहीं एवं पठन-पाठन में कठिनाई होती है एवं पिपरा प्रखंड के प्रा०वि० चिल्कापट्टी में चहारदीवारी नहीं होने के कारण विद्यालय परिसर में मवेशी एवं अज्ञान व्यक्तियों का प्रवेश करने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के वर्ग कक्ष एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओपन जिम की स्थापना

*1246. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज अनुमंडल में मल्टी ओपन जिम का कार्य नहीं हुआ है एवं इसके लिये स्थल चयन की प्रक्रिया जारी है, यदि हाँ, तो सरकार बिक्रमगंज अनुमंडल में मल्टी ओपन जिम अधिष्ठापित कराने का कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आँशिक स्वीकारात्मक । रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में मल्टी ओपन जिम की स्थापना हेतु स्थल चयन की प्रक्रिया पूर्व में पूर्ण हो चुकी है ।

भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । तथा रंग-रोगन एवं दरवाजा खिड़की संबंधित कार्य जारी है । पूर्ण होते ही मल्टी ओपन जिम अधिष्ठापित कराते हुये शीघ्र ही आमजनों के उपयोग हेतु प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

भवन का निर्माण

*1247. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के सहुरी पंचायत स्थित उच्च विद्यालय, सहुरी के नये भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संवेदक का चयन किये जाने के बावजूद विगत् 8 माह से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु अंचलाधिकारी बरौनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कर विभाग को समर्पित किया जा चुका है, फिर भी निर्माण कार्य शुरू न होने से स्थानीय ग्रामीणों एवं छात्रों में असन्तोष व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय के नये भवन का निर्माण कार्य कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*1248. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर प्रखंड में छात्र-छात्राओं के शिक्षा प्राप्त करने के लिये कोई डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को 20 किलोमीटर दूरी तय कर शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खुलवाने का विचार विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*1249. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के रतन अंजनी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मदनपुर एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिमराहा में पर्याप्त भवन नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त कमरा निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में शिक्षक भर्त्ती एवं जर्जर भवन का निर्माण

*1250. श्री नंद किशोर राम (क्षेत्र संख्या-02 रामनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड के रामनगर में प्रेम जननी संस्कृत विद्यालय है जिसमें शिक्षकों की कमी एवं विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में रहने के कारण पठन-पाठन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती एवं नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड के रामनगर में प्रेम जानी संस्कृत विद्यालय बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित संस्कृत विद्यालय है । बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2015 के कंडिका 7 विद्यालय प्रबंध समिति के कृत्य और शक्तियाँ के उपकंडिका (i) एवं (x) में अंकित प्रावधान के अनुसार राज्य में संचालित अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के भवन निर्माण करने एवं उसके रख-रखाव करने की जिम्मेवारी तथा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित शक्तियाँ/दायित्व विद्यालय के प्रबंध समिति की होती है । अराजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा किया जाना प्रबंध समिति के अधिकार में सरकार का हस्तक्षेप होगा । अराजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती एवं भवन बनाने का कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

आधुनिक भवन का निर्माण

*1251. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, सालिमपुर एवं प्राथमिक विद्यालय सलारपुर मुशहरी का भवन जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के जर्जर भवन को ध्वस्त कर नया आधुनिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1252. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परिहार प्रखंड के भीसवा-भगवतीपुर गांव नेपाल वार्डर पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से एक भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस भीसवा-भगवतीपुर के लिये नहीं चलती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य परिवहन निगम की बस सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से परिहार होते हुये भीसवा-भगवतीपुर तक चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सीतामढ़ी से भीसवा मार्ग पर एक पिंक बस का परिचालन किया जा रहा है ।

(3) सीतामढ़ी से परिहार बेला होते हुये भीसवा मार्ग पर एक पिंक बस का परिचालन किया जा रहा है ।

वेतन एवं एरियर का भुगतान

*1253. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सूर्या कन्या मध्य विद्यालय आर्य समाज हिलसा में आशा किरण, नगर परिषद् शिक्षक के रूप में कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में सप्तम वेतन आयोग द्वारा वेतन में वृद्धि किया गया था एवं वर्ष 2020 में वेतन वृद्धि करने के लिये शिक्षकों द्वारा हड़ताल किया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि हड़ताल खत्म होने के बाद सभी शिक्षकों को वेतन वृद्धि कर वेतन एवं एरियर का भुगतान कर दिया गया, लेकिन शिक्षिका आशा किरण को अभीतक हड़ताल अवधि का वेतन एवं एरियर का भुगतान नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शिक्षिका आशा किरण के हड़ताल अवधि का वेतन एवं एरियर का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिजिटल लाइब्रेरी चालू कराना

*1254. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय वित्तीय वर्ष 2023-24 में लिया गया है, परन्तु अबतक निर्माण कार्य समस्तीपुर जिला सहित राज्य में कही नहीं दिख रहा है, यदि हाँ, तो सरकार अबतक कराये गये निर्माण की वास्तविक आकड़ा बताना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातकोत्तर की पढ़ाई

*1255. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत S.M.S.G कॉलेज है जो मगध बोधगया का अंगीभूत कॉलेज है, जहां डुमरीया, इमामगंज आदि प्रखंड के विद्यार्थी स्नातक की पढ़ाई करने के लिये आते है, लेकिन स्नातक में उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा/स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिये 100 कि०मी० दूरीं तय करके मगध विश्वविद्यालय बोधगया जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सभागार का निर्माण

*1256. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा में 2000 दर्शकों के बैठने की क्षमता का कोई भी वातानुकूलित सभागार नहीं है, जिससे जिलास्तर पर कला एवं संस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार आरा शहर के मौलाबाग मुहल्ला में उपलब्ध सरकारी भूमि पर वातानुकूलित सभागार के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर, आरा में 620 क्षमता का 'अटल कला भवन' निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 453/रा०, दिनांक 3 फरवरी, 2026 के द्वारा अंचल सदर आरा के मौजा-धनुपरा में अटल कला भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति सहित हस्तांतरण करते हुये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

डिग्री कॉलेज स्थापित करना

*1257. सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में समृद्धि यात्रा के दौरान छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा सुलभ हेतु हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज के निर्माण की घोषणा के बावजूद डिग्री महाविद्यालय के अभाव में अलीनगर, तारडीह एवं धनश्यामपुर प्रखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु 45 से 50 किलोमीटर दूरी तय कर दूसरे शहर के महाविद्यालय में जाना पड़ता है, जिससे छात्र पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं उन्हें डिग्री स्तर की शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापित हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है साथ ही विद्यार्थियों की संख्या बहुतायत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में विद्यार्थियों के हित में डिग्री महाविघलय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1258. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत टिकारी अनुमंडल स्थित ऐतिहासिक शहर सह नगर परिषद्, टिकारी क्षेत्र में वर्तमान में एक भी खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार टिकारी नगर परिषद् अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मखपा, टिकारी के बगल स्थित खेल मैदान में खेल स्टेडियम के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का आधुनिकीकरण

*1259. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डेहरी डालमिया नगर के नगर परिषद् अंतर्गत डालमिया नगर के खेल मैदान में वर्षों से राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभ्यास करते रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह खेल मैदान वर्षों पुराना है जिसे आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस खेल मैदान के आधुनिकीकरण के साथ आधुनिक सुविधायुक्त 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था वाला सुसज्जित स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*1260. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड फतेहपुर के ग्राम पंचायत नौडीहा झुरांग के ग्राम-रौनी एवं ग्राम पंचायत जयपुर के ग्राम-चरका पत्थर की जनसंख्या 650 एवं 600 से अधिक होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने से छात्र/छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-रौनी एवं ग्राम चरका पत्थर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण करना

*1261. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के हिम्मतनगर पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हिम्मतनगर में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण आवारा पशु एवं असामाजिक तत्व विद्यालय के कैम्पस में घूमते रहते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मल्टी जिम उपकरण का अधिष्ठापन

*1262. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खेल विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापांक 1657, दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के आलोक में बिहार के सभी जिलों में खेलों को विकसित किये जाने के उद्देश्य से मल्टी जिम, ओपन जिम एवं चिन्हित खेलों हेतु एकरूपता के आधार पर आवश्यक खेल उपकरणों का क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के अहिल्यास्थान एवं जिला अतिथि गृह, दरभंगा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है एवं मल्टी जिम उपकरण अधिष्ठापन आवंटन के आलोक में संयुक्त सचिव, खेल विभाग के द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 को ज्ञापांक 2335 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, दरभंगा से पत्र के द्वारा सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित दोनों स्थानों पर मल्टी जिम उपकरण अधिष्ठापन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि जिला अतिथि गृह के लिये मल्टी जिम के संबंध में सूचित करना है कि जिला अतिथि गृह से 100 मीटर की दूरी पर खेल भवन-सह-व्यायामशाला का निर्माण अंतिम चरण में है जिसके निचले तल में मल्टी जिम अधिष्ठापन प्रस्तावित है।

साथ ही अहिल्यास्थान में ओपन जिम हेतु जिलाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 40, दिनांक 03 फरवरी, 2026 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त मद में राशि समाप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के निहित प्रावधानों के अनुरूप ओपन जिम अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर कार्रवाई की जायेगी।

सामुदायिक भवन का निर्माण

*1263. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में कहलगांव विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड संहौला पंचायत पोठिया वार्ड नं० 9 में लबबू मेहतर, पिता स्व० प्रभु मेहतर के घर के पास सरकारी जमीन पर विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक आयोजनों और युवाओं के पढ़ने के लिये सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला में कहलगांव विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड संहौला पंचायत पोठिया वार्ड नं० 9 में लबबू मेहतर, पिता-स्व० प्रभु मेहतर के घर के पास सरकारी जमीन की विवरणी निम्नवत् है:--

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	किस्म
पोठिया	443	283	113	(23X70) वर्गफीट 3.69डी०	अनावाद बिहार सरकार परती

उपरोक्त उपलब्ध सरकारी जमीन सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड के निर्माण हेतु निर्धारित मानक (50X60 वर्गफीट) से कम है। साथ ही अनुसूचित जाति टोला पोठिया में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड के निर्माण हेतु मानक के अनुरूप 60X50 वर्गफीट का अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, प्रतिवेदित है।

महाविद्यालय की स्थापना

*1264. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत घोसी विधान सभा क्षेत्र के मोदनगंज और घोसी प्रखंडों में वर्तमान में स्नातक महाविद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातक महाविद्यालय का निर्माण

*1265. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना नहीं होने से छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाहर अन्य स्थानों पर आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना

*1266. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत सोनपुर में कोई राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं है, जिससे छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सोनपुर में एक राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, छपरा संचालित है।

राजकीय पॉलिटेक्निक, छपरा की प्रवेश क्षमता प्रतिवर्ष 360 है। इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र/छात्राएँ भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं।

वर्तमान में सारण जिला अन्तर्गत सोनपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

भवन का निर्माण

*1267. श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति, सोनपुरा का भवन वर्ग-कक्ष, रसोई घर एवं चहारदीवारी की स्थिति काफी जर्जर हो गयी है जिस कारण छात्रों को विद्यालय में बैठकर पढ़ाई करने में एवं शिक्षकों को विद्यालय के दस्तावेजों को रखने में काफी परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक कक्ष नहीं है जिसके निर्माण की भी आवश्यकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र एवं शिक्षक हित में उक्त विद्यालय में भवन, वर्ग कक्ष, रसोई घर, चहारदीवारी एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का शीघ्र निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1268. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)- क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी प्रखंड अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, उझीलपुर में वर्ग 9 से 12 तक के लिये भवन नहीं है जिससे कक्षा संचालन मध्य विद्यालय, रामपुरवा में हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू कराना

*1269. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वाहन चालकों एवं उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन, जीवन बीमा एवं वैकल्पिक दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना" 2024 बिहार गजट असाधारण अंक अधिसूचना सं० पटना 994, 14 अक्टूबर, 2024 द्वारा अधिसूचित की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक योजना का केवल औपचारिक उद्घाटन हुआ है, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे राज्य के हजारों वाहन चालक एवं उनके परिवार घोषित लाभों से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त योजना के प्रावधानों को कबतक लागू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*1270. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियाँ प्रखण्ड के कुमरखत पंचायत के महुलीया गांव में विद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गांव में महादलित की संख्या बहुतायत होने तथा शिक्षा ग्रहण करने हेतु छोटे-छोटे बच्चे को 02 किलो मीटर दूर जाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है जबकि इसी गांव के झोकराही में 3 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लदनियाँ प्रखण्ड के महुलीया गांव के झोकहारी में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*1271. श्री सुरेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकि नगर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड भितहां के पंचायत खैरवा एवं प्रखंड मधुबनी के पंचायत खोतहवा में एक भी खेल मैदान अवस्थित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के शारीरिक विकास एवं खेल को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय का निर्माण

*1272. श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय प्रखंड स्तर पर महाविद्यालय खोलने का कार्य कर रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कटिहार जिला अंतर्गत कदवा विधान सभा क्षेत्र के कदवा एवं डंडखोरा प्रखंड में महाविद्यालय के निर्माण का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नामांकन प्रारंभ कराना

*1273. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तेघड़ा अनुमंडल अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय, तेघड़ा का बजलपुरा में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका निरीक्षण विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के स्तर पर कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के स्तर से उक्त महाविद्यालय में पद सृजन की प्रक्रिया पूरा कर लेने के बावजूद भी नामांकन प्रारंभ नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सत्र 2026 से उक्त महाविद्यालय में नामांकन प्रारंभ करने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1274. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण कराने का निर्णय सरकार ने लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, मधुबनी ने ज्ञापांक 292, दिनांक 14 जुलाई, 2022 के माध्यम से लखनौर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु अंचलाधिकारी, लखनौर के प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत कछुवी खाता नं० 1733, खेसरा नं० 9134, रकबा-4 एकड़ 23डी० के प्रस्ताव को पूर्व में सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लखनौर प्रखंड के पंचायत कछुवी में उक्त भूमि पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*1275. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के गोह प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, बहुरिया वर्मा में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक मध्य विद्यालय स्वीकृत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मध्य विद्यालय में वर्तमान में मात्र 4 (चार) शिक्षक पदस्थापित हैं जिसके कारण छात्र/छात्राओं के पढ़ाई में दिक्कत हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्रों और वर्गों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवश्यक दिशा-निर्देश

*1276. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के चीनी मिलों से निकले टेमा के चलते सिकहरना नदी का पानी सालो भर प्रदूषित रहता है और बाढ़ आने के समय यह प्रदूषित पानी किसानों के खेतों को भी प्रभावित करता है, जिससे उनकी फसल की बर्बादी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चीनी मिलों से निकले हुये प्रदूषित पानी पीने से क्षेत्र के जानवरों की भी सेहत प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रकृति परिवर्तन, किसानों की फसल बर्बादी एवं जीव-जंतुओं के जान की क्षति रोकने हेतु उक्त चीनी मिल के मालिकों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फॉरेस्ट क्लियरेंस देना

*1277. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वन विभाग की जमीन पड़ने की स्थिति में फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना आवश्यक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस

के अभाव में राज्यान्तर्गत 200 के करीब योजनाएँ लंबित है जिसमें वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस वे, छपरा-मांझी-गुठनी पथ, गोपालगंज जिलान्तर्गत हरखुआ-खवाजेपुर पथ तथा भोजपुरवा-चौराव बाइपास भी शामिल है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इन योजनाओं को समयावधि में पूर्ण करने हेतु फॉरेस्ट क्लियरेंस देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति

*1278. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली, 2020 की कंडिका 16 के तहत राज्य के प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की सेवा 12 वर्ष पूरी होने पर स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर एवं पटना जिले के फुलवारीशरीफ अंचल में कार्यरत सेवावधि पूर्ण कर चुके पंचायत/प्रखंड शिक्षकों को अभीतक प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सेवावधि पूर्ण कर चुके नियोजित शिक्षकों को स्नातक कोटि के वेतनमान में प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानक के अनुरूप कराना

*1279. श्रीमती बिनिता मेहता (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के गोविन्दपुर प्रखंड अन्तर्गत सकरी नदी के घाट संख्या 1 पर बालू उठाव निर्धारित पर्यावरणीय एवं खनन मानकों के अनुरूप नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनियमित एवं अत्यधिक बालू उठाव के कारण भू-जल स्तर में गिरावट तथा पेयजल संकट उत्पन्न भी हो सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालू उठाव को मानक के अनुरूप कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*1280. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम अन्तर्गत वार्ड सं० 11 में स्थित मध्य विद्यालय, उफरैल में कक्षा 9 एवं 10 की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में पर्याप्त भवन उपलब्ध है तथा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड सं० 10, 11, 12, 24 की घनी आबादी के छात्र-छात्राओं को उच्च कक्षा की पढ़ाई के लिये लगभग 3-4 कि०मी० दूर जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं की शिक्षा सुविधा हेतु मध्य विद्यालय, उफरैल को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1281. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत प्रखंड बोधगया में सहदेव खाप उत्क्रमित

उच्च विद्यालय वर्ग कक्ष/भवन के अभाव में मध्य विद्यालय, सहनु के वर्ग कक्ष/भवन में पठन-पाठन का कार्य संचालित किये जा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च विद्यालय का भवन अलग नहीं होने के कारण शिक्षक एवं छात्र अस्त व्यस्त स्थिति में पठन-पाठन का कार्य सम्पन्न कर रहे हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय के लिये अलग से भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1282. मो० तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखण्ड मुख्यालय के एल०आर०पी० चौक से पटना के लिये सरकारी बस का परिचालन नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चौक से पटना के लिये बस का परिचालन नहीं होने के कारण बहादुरगंज, दिघलबैंक इत्यादि प्रखंड की आमजनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एल०आर०पी० चौक, बहादुरगंज से पटना तक सरकारी बस का परिचालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1283. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी है लेकिन अन्य राज्य में शराब चालू है, अन्य राज्य से नियमानुकूल कोई व्यक्ति शराब क्रय कर हवाई मार्ग के रास्ते बिहार राज्य में प्रवेश करने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं कर मात्र शराब हवाई अड्डे पर जमा कर लिया जाता है जबकि रेल मार्ग या सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य बिहार राज्य के रास्ते जाने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य मार्ग या सड़क मार्ग से नियमानुकूल खरीदारी कर ले जाने वाले व्यक्ति के पास से शराब जमा कर गिफ्तारी पर रोक लगाने का विचार रखती है ?

प्राथमिक विद्यालय बनाना

*1284. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोहनिया विधान सभा अन्तर्गत कुदरा प्रखण्ड के ससना पंचायत के डंडोरी गांव के बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार डंडोरी गांव में प्राथमिक विद्यालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*1285. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखण्ड चकाई में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना नहीं होने के कारण वहां के अनुसूचित जाति के छात्र जिनकी आबादी लगभग 30 प्रतिशत है, को गरीबी के कारण शिक्षा अध्ययन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त प्रखंड में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निजात दिलाना

*1286. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के कई जिलों में नीलगायों के आतंक से किसान के फसलों एवं राहगीरों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड केवटी एवं सिंघवाड़ा में नीलगायों के द्वारा फसल के नुकसान से किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है एवं स्थायी समाधान नहीं निकालने का खामियाजा गरीब किसानों एवं आम राहगीरों को उठाना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों एवं राहगीरों को निजात दिलाने के लिये कोई ठोस कदम उठाने का कोई विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1287. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बिहिया प्रखंड के कमरियांव पंचायत स्थित राजकीय कृत उच्च विद्यालय, जादोपुर का अपना खेल मैदान है, परंतु मैदान में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण यहां अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय के खेल मैदान की चहारदीवारी का निर्माण कर उसे मिनी स्टेडियम के रूप में बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का पुनर्निर्माण

*1288. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र के सोनीयावां पंचायत के खुशालपुर गांव स्थित रामशरण प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय के भवन जर्जर स्थिति में है तथा भवन के कुछ अंश गिरने की स्थिति में है, जिससे वर्ग कक्ष संचालन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय महोत्सव का दर्जा देना

*1289. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरंभगा जिले के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत गौसाघाट में प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमाँ में बहुत बड़े मेले का आयोजन विगत कई वर्षों से किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मेले में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड के साथ-साथ नेपाल के श्रद्धालु भी अपनी मनोकामना पूरा करने के उद्देश्य से आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मेले को राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1290. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, रजवा रहिमाबाद एवं उच्च विद्यालय, बंगराबच में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालयों में पशु एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण छात्र-छात्राएँ एवं शिक्षक असुरक्षित महसूस करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों उच्च विद्यालयों में सुरक्षा के लिये चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*1291. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के अंतर्गत रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड दुर्गावती के ग्राम-(1) टोला वभनपुरा (2) टोला मैरै सहित अन्य ग्राम-टोलो में आजादी के बाद अभीतक प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चे-बच्चियों को पठन-पाठन के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1292. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महमदपुर नीलामी का अपना भवन नहीं है, जबकि भवन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1293. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिले के बनमनखी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, कामत टोला, सहुरिया एवं प्राथमिक विद्यालय, संथाल टोला, जानकी नगर सहित 22 प्राथमिक विद्यालय अबतक भूमिहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी विद्यालय में सैकड़ों बच्चे नामांकित है, जिसका वर्ग संचालन गांव से अन्यत्र अधिक दूरी के विद्यालय में या किराए के मकान से होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमिहीन उक्त विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराते हुए भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1294. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड सुगौली में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण प्रखंड के आवासित छात्र-छात्राओं को 30-35 कि०मी० की दूरी तय करके स्नातक स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुगौली का प्रखंड मुख्यालय नगर पंचायत सुगौली क्षेत्र में पड़ता है जहाँ मौजा सुगौली, थाना नं० 38 अंचल सुगौली, खाता नं० 02, खेसरा नं० 2602, रकबा 3 एकड़ से अधिक भूमि सरकारी चौकोर है, डिग्री कॉलेज खोलने की जमीन संबंधित सभी अर्हता पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थल पर डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय में विधि की पढ़ाई

*1295. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ अनुमण्डल मुख्यालय स्थित अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में विगत दस वर्षों से विधि संकाय की पढ़ाई बंद होने के कारण उक्त अनुमण्डल के साथ-साथ आस-पास के जिलों के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में विधि की पढ़ाई कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1296. श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत बेलागंज विधान सभा क्षेत्र के 1938 में स्थापित अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेलागंज का भवन जर्जर हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में आधुनिक सुविधा का अभाव है, जिससे यहां पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का जीर्णोद्धार कराते हुए आधुनिक सुविधायुक्त भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष एवं चहारदीवारी का निर्माण

*1297. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड अंतर्गत सेमरा पंचायत में स्थित +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेमरा में भवन एवं चहारदीवारी नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमरा में भवन तथा चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1298. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत प्रखंड अमौर के खाड़ीहाट एवं बाराईदगाह बाजार से BSRTC का एक भी बस का परिचालन जिला मुख्यालय पूर्णियाँ के लिए वर्तमान में नहीं हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों बाजार से BSRTC बस का परिचालन नहीं होने से व्यापारियों एवं आमजनों को जिला मुख्यालय जाने में निजी बसों में अधिक किराया देकर जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों बाजार से BSRTC बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक।

(3) प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड अमौर के खाड़ीहाट एवं बाराईदगाह बाजार से पूर्णियाँ मार्ग अधिसूचित नहीं है।

कमरे का मरम्मतीकरण

*1299. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अन्तर्गत जयपुर चुहर पश्चिम पंचायत में मध्य विद्यालय, चैहद्दी अवस्थित है, जिसमें पुराना चार कमरा बहुत ही जर्जर अवस्था में है, फिर भी बच्चे अभी वहीं पढ़ाई करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कमरे की कबतक मरम्मत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केन्द्र का जीर्णोद्धार

*1300. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत नगर पंचायत अमदाबाद वार्ड संख्या 12,13 में वर्ष 2012 में अर्द्धनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 07 की छत नहीं ढाली गयी है एवं दीवार भी जर्जर हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 96, दिनांक 31 जून, 2026 में प्रतिवेदित है कि वर्ष 2012 में अर्द्धनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 07 जिसका छत नहीं ढाला गया है एवं दीवार भी जर्जर हो गया है। आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 07 का अर्द्धनिर्मित भवन 13वीं वित्त योजना के तहत निर्माण किया गया था, तथापि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमदाबाद को आजतक हस्तगत नहीं कराया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त केन्द्र का संचालन किराये पर किया जा रहा है।

वर्ष 2012 में अर्द्धनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 07 के जीर्णोद्धार एवं छत ढलाई के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमदाबाद के कार्यालय पत्रांक 45, दिनांक 28 जनवरी, 2026 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, अमदाबाद से पत्राचार किया गया है।

-

नगर पंचायत, अमदाबाद के मुख्य पार्षद् द्वारा अपने पत्रांक 29 दिनांक 31 जनवरी, 2026 के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अमदाबाद को भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराने हेतु अनुशंसा किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अमदाबाद के पत्रांक 69, दिनांक 31 जनवरी, 2026 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अनुसार आगामी बोर्ड बैठक के निर्णय उपरांत भवन जीर्णोद्धार हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

कार्रवाई करना

'च'*1301. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत गुरुआ एवं परैया प्रखंड में बालू घाट से बालू के उठाव रात में बिना परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस एवं जीपीएस के ओवर लोडेड व्यावसायिक वाहनों से किया जा रहा है एवं परिवहन पदाधिकारियों की मिलीभगत से बंदोबस्तीधारी द्वारा बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में गुरूआ एवं परैया प्रखंड में परिवहन पदाधिकारियों की मिलीभगत से अवैध तरीके से बालू का उठाव करने पर रोक लगाने हेतु एक उड़नदस्ता का गठन करते हुये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एथलेटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट की स्थापना

*1302. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र में एथलेटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट की स्थापना अभीतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक एथलेटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट की स्थापना केसरिया में करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1303. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड चनपटिया में पी०एम० श्री उच्च विद्यालय, चनपटिया संचालित है, जिसमें वर्ग 11वीं एवं 12वीं में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 700 है, जहाँ सिर्फ एक संगीत शिक्षक के भरोसे पठन-पाठन कार्य हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जैव विविधता पार्क की स्थापना

*1304. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज (अ० जा०))--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज विधान सभा के प्रखंड त्रिवेणीगंज के ग्राम-लक्ष्मीनियाँ में जैव विविधता पार्क बनाने का प्रस्ताव पूर्व में ही स्वीकृत है, परन्तु अभीतक पार्क निर्माण का कार्य आरंभ नहीं हुआ है जिससे वर्तमान में शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान के प्रस्तावित जैव विविधता पार्क का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट— 'च'- परिवहन विभाग के पत्रांक 1029, दिनांक 09 फरवरी, 2026 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानान्तरित ।

महोत्सव का आयोजन

*1305. श्रीमती दीपा कुमारी (क्षेत्र संख्या-227 इमामगंज)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिले के इमामगंज प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-नेहुटा में धरातल से लगभग 900 फीट ऊँचा पहाड़ पर अतिप्राचीन सिद्धनाथ मनोकामना मंदिर स्थित है जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना एवं दर्शन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन उक्त मंदिर में सावन महोत्सव का आयोजन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महाशिवरात्रि के दिन राजकीय महोत्सव का आयोजन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1306. मो० कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, पोठिया की स्थापना वर्ष 1983 में की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की चहारदीवारी हेतु तीन साइड की दीवार का निर्माण 3 वर्ष पहले हो चुका है तथा एक साइड की दीवार का निर्माण अभी बाकी है, जिसके कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय पोठिया, की शेष चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला अंतर्गत +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, पोठिया की स्थापना वर्ष 1983 में की गई है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की चहारदीवारी हेतु तीन साइड की दीवार का निर्माण हो चुका है तथा एक साइड की दीवार का निर्माण अभी बाकी है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय प्रखण्ड पोठिया के लिये 310 फीट नया चहारदीवारी निर्माण की आवश्यकता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में आधारभूत संरचना तथा नया चहारदीवारी निर्माण की आवश्यकता संबंधी विवरणी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है।

स्थानांतरण कराना

*1307. श्रीमती छोटी कुमारी (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक 2424, दिनांक 08 सितम्बर, 2025 द्वारा श्री गौतम प्रसाद, प्रखंड साधन सेवी, लहलादपुर, सारण का विशेष परिस्थिति में दरियापुर प्रखंड में कार्य करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी अभीतक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनियमितता की जांच कर कार्रवाई कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*1308. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जिसके कारण विद्यार्थियों को 25 कि०मी० दूर हरि प्रसाद साह महाविद्यालय निर्मली, सुपौल जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार लौकही प्रखण्ड में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नुकसान रोकना

*1309. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी एवं पीरो आदि प्रखण्डों मे किसानों की फसलों को नीलगाय, सुअर सहित अन्य जंगली जानवरों द्वारा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में जंगली जानवरों से किसानों की फसलों के बचाव हेतु जलतोप, शूटर की तैनाती एवं फैंसिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंडों में जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को कबतक रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई शुरू करवाना

*1310. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखण्ड वारिसलीगंज के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पैंगरी में BSEIDC बिहार, पटना द्वारा भवन निर्माण किया गया है जो अपूर्ण है एवं इंटर तक की पढ़ाई मध्य विद्यालय, पैंगरी के भवन में मात्र पाँच कमरे में हो रही है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पैंगरी के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर नये भवन में विद्यालय की पढ़ाई शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) एवं (2) स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखण्ड वारिसलीगंज के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पैंगरी में BSEIDC से ग्रुप सं० USSS-44D के अंतर्गत 10+2 स्तरीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य संवेदक श्री सुधीर कुमार, रजौली, नवादा के द्वारा कराया जा रहा है।

संवेदक श्री सुधीर कुमार द्वारा कार्य में विलम्बता का कारण अपनी अस्वस्थता बताया गया। संवेदक से प्राप्त **Affidavit** में स्वीकारोक्ति की गयी है कि 03 माह से अंदर कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा।

समस्याओं का निवारण

*1311. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत प्रखंड पुनपुन पंचायत कल्याणपुर के प्राथमिक विद्यालय, दरियापुर का भवन जर्जर है, चहारदीवारी नहीं है, ग्राउंड में जल-जमाव होता है जिससे बच्चों को पढ़ाई एवं खेलने में समस्या आती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के इन मूलभूत समस्याओं के निराकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1312. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पदमौल में 700 बच्चे-बच्चियां पठन-पाठन करती हैं परंतु विद्यालय में भवन नहीं रहने के कारण पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 17 फरवरी, 2026 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० - 31 (एल०ए०), 2025-26 डी०टी०पी० -600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026